(96)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

पीठासीन अधिकारी :– मणीलाल तीरगर आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या सं. 223/15 राजस्व वाद निर्णय दिनांक 4-10-2019

कान्तिलाल पिता हक्सी डामोर निवासी लाडसोर तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर
वादी

बनाम

1. धूला पिता नाना डामोर
2. रणछोड पिता धूला डामोर
3. कचरा पिता धूला डामोर निवासी समस्त लाडसौर त0 झौथरीपाल जिला डूँगरपुर
4. श्री राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 रा.का.अधि.सपठित धारा 136 ले0रे0एक्ट
अधिवक्ता वादी :– श्री श्रवण रावल
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 :– श्री भगवान गुर्जर
प्रतिवादी संख्या 4 :– पेरोकार

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद इस आशय का पेंश किया की यह कि वादी एवं अन्य सहखातेदारान के कब्जे काश्त की भूमि ग्राम लाडसौर तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर में स्थित है, जिसका संवत 2067–2070 अनूसार विवरण निम्न है। खसरा नम्बर 270, 271, 824, 835, 838, 842, 843, 844, 845, 846, 851, 853, 854, 857, 1035 1260, 1156, 1238 होकर कुल रकबा 13 बिघा 0.08 बिस्वा है। आराजी नम्बर 270 रकबा 0.09 बिस्वा व आराजी नम्बर 271 रकबा 0.10 बिस्वा को लेकर प्रतिवादीगण अभी कुछ दिनो से विवाद कर रहे है।वादी की भूमि पर कब्जा अतिक्रमण निर्माण की धमकी दी जा रही है। वादी एवं अन्य सहखातेदारान का उपरोक्त भूमि पर कब्जा काश्त है। वादी एवं अन्य सहखातेदारान ने अपनी भूमि प्रतिवादीगण को विक्रय या हस्तान्तरित नही की है। उसके बावजुद प्रतिवादीगण वादी एवं उसके परिवार से लडाई झगडा करने आमादा रहते है। तथा वादी की भूमि पर कब्जा अतिक्रमण निर्माण की धमकिया दे रहे है, तथा मौके पर जे.सी.बी. लाकर निर्माण करने आमादा है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के खिलाफ इस बात की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जानी आवश्यक है। कि प्रतिवादीगण वादी एवं अन्य सहखातेदारान के कब्जे काश्त की भूमि जिसका वर्णन वाद के कॉलम संख्या 3 में किया है पर वादी तथा अन्य सहखातेदारान के कब्जे काश्त कार्य में रूकावट पैदा न करें, वादी या अन्य सहखातेदारान कों तंग परेशान न करें वादी तथा उसके परिवार को वादग्रस्त भूमि में बूवाई जूताई शांतिपूर्ण ढंग से करने दे तथा की जाने वाली व की गई फसल को नूकसान नही पहुँचावें व फसल को काटकर चूराकर न ले जावें, पशुओं को न खिला देवे । वादी की भूमि में किसी प्रकार का कब्जा, अतिक्रमण, निमार्ण काश्त कार्य में अवरोध पैदा न स्वयं करें न अपने परिवारजन मित्र ऐजेन्ट ठेकेदार से करावें दौराने वाद किसी प्रकार का कब्जा अतिक्रमण निर्माण वादग्रस्त भूमि में किया जाता है तो उसे विध्वंस किया जाकर कब्जा दिलाया जावें तथा हर्जाना दिलाया जावें।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 4 औपचारिक पक्षकार होने से उसका जवाब दावा प्रस्तुत कर उल्लेखित किया की वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का गत 50 वर्ष से कब्जा काश्त है तथा उनके द्वारा ही खेती की जा रही है, ऐसी परिस्थिति में वादीगण का वाद खारिज किया जावें।

Scanned by CamScanner

जवाब प्रस्तुत होने पर निम्न तनकीयात कायम की गई :–

77

(1) आया वादी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के खिलाफ विवादित भूमि पर काश्त कब्जा में रुकावट नही करने बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है :–

ब – जिम्मे वादी

(2) आया दौराने विचाराधिन वाद के विवादित भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा किसी प्रकार का कब्जा अतिक्रमण निर्माण कर लिया जाये तो इसे विध्वंस कराया जाकर कब्जा प्राप्त करने का हकदार है।

ब – जिम्मे वादी

(3) यह कि विवादित भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा विगत 50–60 वर्षे से काबिज होकर काश्त करने के आधार भूमि प्राप्त करने के हकदार है।

जिम्मे प्रतिवादी

प्रकरण में तनकी कायम की जाकर साक्ष्य तलब की गई । वादी की और से अपनी साक्ष्य में गवाह कान्तिलाल, गवाह थावरा, गवाह कान्ति को परिक्षीत कराया तथा अपने वाद के समर्थन में सात दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराये। तथा इसी प्रकार प्रतिवादी की और से अपनी साक्ष्य में धूला, हुरमा, रणछोड के शपथ पत्र प्रस्तुत किये लेकिन धूला व हुरमा को ही जिरह हेतु प्रस्तूत किया गया लेकीन प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेज प्रदर्शित नही कराया गया।

सभी पक्षो की साक्ष्य समाप्त करने के प्श्चात बहस समायत की गई पक्षकारान द्वारा अपनी बहस में साक्ष्य व वाद व जवाब दावा में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया गया।

तनकीवार निर्णय :–

तनकी संख्या 1 :– उपरोक्त तनकी का भार वादी पर होने से वादी की साक्ष्य व दस्तावेज का अवलोकन किया गया। वादी तथा वादीगण की और से प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबन्दी प्रदर्श 1 में प्रतिवादीगण का नाम नही है। तथा एक मात्र वादी ही खातेदार काश्तकार है इस संबंध में पूलिस कार्यवाही से भी प्रतिवादीगण के विरूध्द ही निष्कर्ष निकलता है। प्रतिवादीगण की और से की गई जिरह में ऐसा कोई तथ्य निकलकर नही आया है जिससे यह प्रतीत होता हो की प्रतिवादीगण भी भूमि के मालिक हो तथा प्रतिवादीगण की और से जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है तथा उनसे जो जिरह की गई है उसमें उन्होने यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि वादी ही उसकी स्वयं की खाते की जमीन पर खेती करता है। ऐसी परिस्थिति में मेरी विनम्र राय में इस तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूध्द किया जाता है।

Scanned by CamScanner

नकी संख्या 2 :– उपरोक्त तनकी के संबंध में स्पष्ट है कि दौराने वाद कोई निर्माण पर इस नकी का निर्णय किया जाना उचित होता लेकिन प्रकरण में ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही हुई जिससे दौराने वाद कोई निर्माण किया गया हो ऐसी परिस्थिति में इस तनकी का निर्णय दीगण के विरूध्द किया जाता है, और इस तरह की कोई सहायता पाने का वादी अधिकारी ही हैं।

नकी संख्या 3 :– उपरोक्त तनकी का भार प्रतिवादीगण पर है

करण में दोना पक्षो की साक्ष्य का अध्ययन किया गया तथा प्रतिवादीगण के बयानो से कही ह स्पष्ट नही हो पा रहा है कि उनका 50–60 वर्षो से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त हो ल्कि प्रतिवादी पक्ष के गवाहों से की गई जिरह से यह बात और अधिक स्पष्ट हो गई है कि ौके पर वादी ही काश्त करते है तथा प्रतिवादीगण की और से ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत ही की गई है जिससे यह प्रतीत हो कि मौके पर उनका कब्जा काश्त चला आ रहा है ऐसी रिस्थिति में इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूध्द तथा वादी के पक्ष में किया जाता है।

—: : आदेश : :—

निर्णयानुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य होकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के खिलाफ् इस बात की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादी के कब्जे काश्त की भूमि गॉव लाडसौर में स्थित है जिसका खसरा नम्बर 270, 271, 824, 835, 838, 842, 843, 844, 845, 846, 851, 853, 854, 857, 1035 1260, 1156, 1238 होकर कुल रकबा 13 बिघा 0.08 बिस्वा में वादी के कब्जे काश्त में कोई रूकावट पैदा ना स्वयं करे ना अपने परिवारज मित्र ऐजेन्ट, ठेकेदार से करावें। डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावें।

4.10.2018

मणीलाल तीरगर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा, मु. धम्बोला
सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 4-10-2018 को खुले न्यायालय में सूनाया गया।

4.10.2018

मणीलाल तीरगर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा, मु. धम्बोला
सीमलवाडा

Scanned by CamScanner

डिकी व मुकदमें की इब्तदाई

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)
(सिविल प्रेसीजर कोड, एपेन्डियस डी–1)

राज अदालत उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा मुकाम धम्बोला
इजलास उपखण्ड अधिकारी मणीलाल तीरगर सीमलवाडा

कान्तिलाल पितास हक्सी डामोर निवासी लाडसौर **बनाम** धुला पिता नाना डामोर वगैराह
निवासी लाडसौर

वाद बाबत :– स्थायी निषेधाज्ञा 88, 188, 209 राज0टी0एक्ट व धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट
मुकदमा नम्बर :– 223/15
यह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू :– मणीलाल तीरगर
व हाजरी :– श्री श्रवण रावल मिनजानिब मुदई व श्री भगवान गुर्जर
मिजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिकी दी जाती है कि:–

निर्णयानुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य होकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के खिलाफ इस बात की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादी के कब्जे काश्त की भूमि गॉव लाडसौर में स्थित है जिसका खसरा नम्बर 270, 271, 824, 835, 838, 842, 843, 844, 845, 846, 851, 853, 854, 857, 1035 1260, 1156, 1238 होकर कुल रकबा 13 बिघा 0.08 बिस्वा में वादी के कब्जे काश्त में कोई रूकावट पैदा ना स्वयं करे ना अपने परिवारज मित्र ऐजेन्ट, ठेकेदार से करावें।

मेरे दस्तखत मुहर अदालत में आज दिनांक 4.10.2018 को जारी की गई।

4.10.2018
(मणीलाल तीरगर RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा, मु. धम्बोला

वाद केखर्चे

वादी			प्रतिवादी		
	रूपया	पैसा		रूपया	पैसा
1 वाद के लिये स्टाम्प 2 स्टाम वकालतनामा 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 महनताना वकील 5 खर्चा गवाहान 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील			1 स्टाम्प वकालात नामा 2 स्टाम्प अरजी के लिए 3 महनताना वकील 4 खर्चा गवाहान 5 आदेशिका की तामील 6 कमिश्नर की फीस		
योग	Nil	Nil	योग	Nil	Nil

4.10.2018
(मणीलाल तीरगर RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा, मु. धम्बोला

Scanned by CamScanner